संख्या : 13/1156/94-1-2024-312(101)/2016 टी०सी०

प्रेषक,

लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ०प्र० लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 29 जुलाई, 2024**

विषय : उत्तर प्रदेश राज्य में उप निबन्धक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों का डिजिटाईजेशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य में उप निबन्धक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों के डिजिटाइजेशन हेतु शासनादेश सं०-1290/94-1-2022-312(101)/2016 टी०सी० दिनांक 30 सितम्बर, 2022 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी। इस कार्य की समय सीमा एक वर्ष थी। एक वर्ष की समय अवधि में उक्त कार्य पूर्ण न होने के कारण प्रदेश के उप निबन्धक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों का डिजिटाइजेशन किये जाने की कार्य सीमा में 01 वर्ष का विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल निम्न् शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है :-

- शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1270/94-1-2022-312(101)/2016 टी०सी० दिनांक 30.09.2022 उप निबन्धक कार्यालय में वर्ष 2002 से 2017 तक के पंजीकृत विलेखों के स्कैनिंग, इण्डेक्सिंग एवं डिजिटाईजेशन का कार्य विभागीय स्तर से कराये जाने हेतु निर्देश निर्गत किया गया। उक्त शासनादेश के निर्गमन के पश्चात समस्त जनपदों में अप्रैल, 2023 से कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिसके अन्तर्गत जेम पोर्टल पर बिड के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटर व मल्टी टास्किंग स्टाफ सेवा प्रदाता फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये। (क्योंकि कार्मिकों की निविदा प्रकाशित होने के पश्चात् से अंतिम रूप में L1 संस्था के निर्धारण होने में लगभग 02 से 03 माह की अवधि लग जाती है)।
- विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ होने से अब तक राज्य स्तर पर स्कैनिंग का कार्य 52.47 प्रतिशत एवं इण्डेविसंग का कार्य 55.74 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। जिसके अन्तर्गत जनपद भदोही, कौशाम्बी, अमेठी, रायबरेली, महोबा में स्कैनिंग एवं इण्डेक्सिंग का कार्य लगभग शत् प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।
- राज्य स्तर पर स्कैनिंग एवं इण्डेक्सिंग का कार्य शत् प्रतिशत पूर्ण न होने के निम्न कारण रहें हैं :-
  I. कई जनपदों में स्थानीय परिस्थितियों के कारण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ हो पाया। योजना के प्रारम्भ में ही नगरीय निकाय की आचार संहिता के कारण कतिपय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जनपदों में (यथा कानुपर, मैनपुरी, मेरठ, प्रयागराज, फिरोज़ाबाद, आगरा, कन्नौज) आदि में मैनपॉवर की बिड में तकनीकी त्रुटि के कारण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ हुआ।

II. प्रारम्भिक माहों में सेवा प्रदाता द्वारा आपूर्ति किये गये मैनपॉवर के कार्य की गति कम थी। प्रारम्भिक माहों में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर अधिक संख्या में कार्य को बीच में ही छोड़ रहें थें, जिसके कारण नये कार्मिकों को बारम्बार प्रशिक्षित कर कार्य प्रारम्भ करने पर कार्य की गति में विपरीत प्रभाव पड़ा।

III. कार्मिकों द्वारा किये जाने वाले कार्य की गति का आंकलन पूर्व में किये गये 03 जनपदों यथा श्रावस्ती, बाराबंकी तथा अम्बेडकरनगर में स्कैनिंग एवं इण्डेक्सिंग के कार्य के आधार पर किया गया था। यह सभी जनपद अपेक्षाकृत नवीन जनपद हैं एवं पॉयलेट स्टडी में उक्त जनपदों में पंजीकृत विलखों का स्कैनिंग एवं इण्डेक्सिंग का कार्य हुआ था। चूँकि ऐसे विलेख मुख्यतः टाईप एवं मुद्रित होते हैं एवं इण्डेक्स हेतु आवश्यक बिन्दु महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के क्रम में प्रथम पृष्ठ पर ही अंकित होते हैं, जिसके कारण उक्त विलेखों में इण्डेक्सिंग की गति अधिक रही है।

IV. वर्ष 2002 से 2010 तक के अधिकांश विलेख हस्तलिखित होते हैं, जिनके प्रासंगिक तथ्य विलेख में अलग-अलग स्थानों में अंकित होने के कारण इण्डेक्सिंग का कार्य कराने में विलम्ब हुआ।

V. कतिपय जनपदों के उप निबन्धक कार्यालयों में हाईस्पीड इन्टरनेट में बाधा उत्पन्न होने के कारण इण्डेक्सिंग के कार्य में विलम्ब हुआ।

- स्कैनिंग एवं इण्डेक्सिंग का कार्य एक अति महत्त्वपूर्ण प्रकृति का है, जिसके माध्यम से भविष्य में legacy records में कूटरचना को रोका जा सकेगा। अतः उक्त कार्य को पूर्ण करवाया जाना अति आवश्यक है, एवं इस कार्य हेतु संशोधित वास्तविक कार्य दर से नए अनुमान के साथ एक वर्ष और व्यतीत होना सम्भाव्य है। इस समय विस्तार पर कुल रू० 57.00 करोड़ का व्यय अनुमानित हैं। (यद्यपि पूर्व स्वीकृत परियोजना के आधार पर अतिरिक्ति धनराशि रू० 28.62 करोड़ की ही वृद्धि होगी)।

1. उपरोक्तानुसार legacy records (जो कम्प्यूटरीकृत रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू होने से पूर्व के हैं) में कूटरचना रोकने के लिए अभिलेखों की स्कैनिंग एवं डिजिटाइज़ेशन को पूर्ण किया जाना अत्यावश्यक है। इससे भविष्य में असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसे अभिलेखों के साथ छेड़-छाड़ कर के लाभ पाने की सम्भावना समाप्त हो जाती है। अतः कार्य को विलेख अवशेष ना रहने की सीमा तक करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. उपरोक्त अवशेष कार्य को करने हेतु वित्तीय एवं समय सीमा के विस्तार की आवश्यकता है। अब तक के संचालन के अनुभव में पाया गया है कि, आउटसोर्स कार्मिकों से कार्य करवाने में सर्वप्रथम निविदाओं के अन्तिमिकरण में समय अलग-अलग जनपदों में अलग- अलग आया है। आउटसोर्स कार्मिक में टर्नओवर की स्थिति को देखते हुए कार्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की गति भी अलग-अलग प्राप्त होती है। अत: GeM से कार्मिक प्राप्त करने सम्बन्धी शासनादेशों में भी शर्तों में व्यक्त मानदेय को अविचल निम्नलिखित अनुसार बनाया गया है:-

- शासनादेश संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97(0030)/2016 टी०सी० दिनांक 25 अगस्त, 2020 में व्यक्त है कि- "2.6 उपरोक्त व्यवस्था के लिये जेम, भारत सरकार ने उक्त विशिष्ट शर्तें Additional Terms and Conditions (ATC) के Human Resource and Payment clause के अन्तर्गत सम्मिलित कर ली गयी है। इन शर्तों को बिड बनाते समय क्रेता विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायेगा" एवं "3.6- किसी भी विभाग द्वारा किसी गुणवत्तापूर्ण सेवा के लिये कर्मियों को कितना मानदेय देय होगा इसका निर्णय सम्बन्धित विभाग, विभिन्न सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुरूप एवं श्रम विभाग के न्यूनतम वेजेज के अनुसार करेगा, जो कि वर्तमान में कार्मिकों को प्रास हो रहे मानदेय से कम अनुमन्य नहीं होगा। श्रम संविदा नियमावली, सप्ताहिक, राजकीय, मातृत्व आदि अवकाश एवं कार्य के घण्टे जैसे नियमों का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी क्रेता विभाग की होगी।"
- शासनादेश संख्या-3/2021/103/18-2-2021-97(030)/2016 टी०सी०-1 दिनांक 19 फरवरी, 2021 में व्यक्त है कि- "3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त मैनपावर आउटसोर्सिंग से सम्वन्धित शासनादेश दिनांक 25 अगस्त, 2020 एवं 07 दिसम्बर, 2020 में वर्णित प्रविधानों एवं सम्बन्धित जेम की ATC (Additional Terms and Conditions) के अनुरूप ही बिड बनाने हेतु अपने अधीनस्थ विभागों/संस्थाओं को निर्देशित करें।"

  उपरोक्त से प्रकट होता है कि आउटसोर्स कार्मिकों को भुगतान करने के विषय में GeM ATC का अनुपालन अद्यतन अनिवार्य है, एवं विभाग स्तर से बिना उच्च स्तर अनुमति इसमें कोई संशोधन सम्भव नहीं था।

3. कार्य की गति को उच्चतर बनाए रखने के लिए आउटसोर्स कार्मिक को प्रेरित रखने के लिए मानदेय को कार्य की मात्रा के साथ जोड़ा जाना आवश्यक है। अतः स्कैनिंग एवं इण्डेक्सिंग दोनों कार्य के लिए मानव दिवस की परिभाषा क्रमशः 140 डॉक्यूमेन्ट स्कैन एवं 60 डॉक्यूमेन्ट इण्डेक्स के रूप में निविदा की शर्तों में डाला जाना आवश्यक है। यह मानक पायलट स्टडी एवं अब तक समस्त जनपदों में कृत कार्य के आधार पर प्रस्तावित किये जा रहे हैं। यह शर्त स्वीकार होने पर वर्तमान में संचालित संविदाओं के समापन नई आउटसोर्सिंग निविदाओं में इस शर्त के अनुसार ही नई संविदाएँ सृजित की जाएँगी।
4. अतः उपरोक्त कार्य प्रति मानव दिवस के आधार पर अवशेष कार्य लगभग 01 करोड़ 46 लाख दस्तावेजों के लिए तदनुसार ₹ 57.00 करोड़ का व्यय अनुमोदित है।
5. पूर्व में व्यक्त सम्भावित समय अवधि एवं तदनुसार व्यय मात्र 03 जनपदों में किये गए पायलट कार्य के आधार पर था, एवं तदनुसार उसकी आकलन-शक्ति अपेक्षाकृत क्षीण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

थी। वर्तमान में पूरे राज्य में किये गए कार्य की गति के आकलन के अनुसार कार्य आधे से कुछ अधिक पूर्ण होने के कारण, यह उचित प्रकट होता है कि प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार अनुमानतः एक वर्ष का और समय एवं उक्त अवधि पर लगने वाली आउट सोर्सिंग व्यय, जिसको सम्मिलित करते हुए अनुमानित कुल व्यय की लागत ₹123.62 करोड़ होगी, पर शासन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मैनपॉवर के क्रय के सम्बन्ध में श्रम विभाग के शासनादेश सं०-I/295497/2023-छत्तीस-5-2023-36-5010(099)/3/2020-5 दिनांक 29-03-2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

भवदीया,

(लीना जौहरी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-13/1156(1)/94-1-2024 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन ।
6. समस्त अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/जिला निबन्धक, उ०प्र० द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन।
7. समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन।
8. समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन।
9. समस्त उप निबन्धक द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अन्द्रा वामसी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।